सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 02, बुधवार, शाके 1943-मार्च 23, 2022

Chaitra 02, Wednesday , Saka 1943- March 23, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अरांई जिला अजमेर

प्रपत्र -9

(धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत घोषणा एवं सार)

नियम 21 के उपनियम- (1) देखें

घोषणा

अजमेर, फरवरी 11, 2022

संख्या :-राजस्थान सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची की सम्बद्ध सारणी में वर्णित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ग्राम- बालापुरा, चोसला, कट्सुरा तहसील-अरांई, जिला-अजमेर में किशनगढ़-अरांई-मालपुरा सड़क के पुर्ननिर्माण/चौडीकरण/विकसित किये जाने के लिए आवश्यक है।

अत: एतद द्वारा घोषणा की जाती है कि मानक माप के अनुसार 0.034 हैक्टेयर भूमि परियोजना के लिए ग्राम- बालापुरा, चोसला, कट्सुरा तहसील-अरांई, जिला-अजमेर भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अधिग्रहण किया जाना है, जिसका विस्तार विवरण सूची के अनुसार है।

क्रम संख्या	जिला	तहसील	गांव का नाम	खसरा संख्या	भूमि अर्जन का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	अजमेर	अरांई	बालापुरा	1	0.004
2	अजमेर	अरांई	चोसला	2	0.015
3	अजमेर	अरांई	कट्सुरा	1	0.015
			कुल	**4**	**0.034**

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के प्रावधानों के तहत हितबद्ध व्यक्तियों/ खातेदारों से उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों को सुनने एवं जांच उनके निस्तारण कर एवं सरकार द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत की गई है।

भू-अर्जन के कारण पुनर्वासन होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला, लौहा, पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खादानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनको खोदा जाना आवश्यक हो सकता है कि ऐसे भागों को छोड़कर/ निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण/ अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अरांई, जिला अजमेर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है ।

अथवा

उक्त परियोजना के पुनर्वासन योजना प्रस्ताव शून्य होने से प्रभावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति/ व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अरांई, जिला अजमेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्य का नाम- किशनगढ़-अरांई-मालपुरा परियोजना सड़क का विकास (निर्माण) कार्य स्थल विवरण पत्र का प्रारूप 9, ग्राम- बालापुरा, चोसला, कट्सुरा तहसील-अरांई, जिला- अजमेर

प्रस्तावित भूमि अर्जन का विवरण निम्नलिखित है।

क. स	खसरा संख्या	गाँव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	भूमि अर्जन काक्षेत्र(हेक्टर में)	हितबदध व्यक्ति का नाम व पता	सीमाएं			
							उ.	द	पू	प.
1	78/3	बालापुरा	सरकारी	गै.मु. छापर	0.004	सरकारी	77	79	203	165
2	385/1	चोसला	सरकारी	गेर मुमकिन रास्ता	0.012	सरकारी	384	386	206	306
3	570	चोसला	सरकारी	बारानी -2	0.003	सरकारी	569	571	305	421
4	1251/2	कट्सुरा	सरकारी	चारागाह	0.015	सरकारी	1220	1252	850	765
		कुल अवाप्त भूमि (हैक्टेयर में)			**0.034**					

सुनिल गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।